

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/कार्तिक 10, 1899

No. 463] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 1st November 1977

S.O. 742(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S.O 695(E)/18AA/IDRA/72, dated the 3rd November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi had been taken over for a period of five years;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1979,

[No. 4/12/72-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

का० आ० 742 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 695 (अ)/18 कक/आई डी आर ए/72, तारीख 3 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश और दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 2 नवम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और प्रभावी बना रहेगा।

[सं० 4/12/72-सी०यू०सी०]

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No S.O. 65(E)/18AA/IDRA/75, dated the 23rd January, 1976, namely—

1. In paragraph 1 of the said Order, in item (ii), for the words and figures "2nd November, 1977", the words and figures "2nd February, 1978" shall be substituted.

2. In paragraph 2 of the said Order,—

(i) for item 2, the following item shall be substituted, namely—

"2 Shri P Subrahmanyam, I A S Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, Ministry of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi.";

(ii) items 8 and 9 shall be omitted

[No. 4/12/72-CUC]

G N. MEHRA, Jt Secy.

का०आ० 743(अ) —केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 55(अ) /18कक/आई डी आर ए/75, तारीख 23 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त आदेश के पैरा 1 में, मद (ii) में, "2 नवम्बर, 1977" शब्द और अंक के स्थान पर, "2 फरवरी, 1978" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. उक्त आदेश के पैरा 2 में,—

(i) मद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. श्री पी० सुब्रह्मण्यम् आई ए एस मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा, निदेशालय, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।” ;

(ii) मद 8 और 9 निकाल दी जाएगी।

[सं० 4/12/72—सी०यू०सी०]

जी० एन० मेहरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

